Application for obtaining information under The Right to Information Act 2005

To,
The Public Information Officer,
Office of Deputy Director of Electrical Safety
Uttar Pradesh, Ghaziabad Region
Ghaziabad

Affix fee
of Rs. 10 by P.O.

1. **FULL NAME OF THE APPLICANT:** Sri Mohit Pant

2. **ADDRESS:** O-1204,12A Ahinsha Khand,Indirapuram, Ghaziabad.

3. **PARTICULARS OF INFORMATION REQUIRED:**

Please provide the following information in reference to the letter issued form Deputy Director of Electrical Safety,Ghaziabad to the Builder- m/s Jaipuria Infrastructure Developer Pvt Ltd dt. 31-8-10 vide letter No 904 regarding electrical and lift safety of Building residing at 12A Ahinsha Khand, Indirapuram,Ghaziabad

1. **Whether the Builder has implemented all safety measures in the electrical panel room as per your recommendations? (Yes/ No)**
2. **Whether the Builder has removed all Diesel Stock from the basement of the said building as per your recommendations? (Yes/ No)**
3. **Whether the Builder has submitted the fitness certificate of all installed lifts from OTIS- the original lift manufacturer - as per your recommendations? (Yes/ No)**
4. **Did anybody from your office visit this said building after getting the complaint since 31st Aug 10? (Yes/ No)- if yes please provide the copy of visit report.**

(i) **Whether information is required by post or in person:** BY POST

(ii) **In case by post (ordinary, Registered or Speed):** SPEED POST

(iii) **Fee Paid: Crossed Indian Postal Order of Rs. 10 No. 02F 182535 Dt. 29.02.12**

Note:- Since the name of the payee is not clear so I am enclosing blank crossed IPO with a request ti fill in the name.

4. **WHETHER THE APPLICANT IS BELOW POVERTY LINE:** NO

MPant 01/03/2012

Mohit Pant
O-1204,,jaipuria Sunrise Green,
12A, Ahinsha Khand, Indirapuram,Ghaziabad -201014

रजिस्टर्ड

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0शासन, गाजियाबाद रीजन,109, रिछपालपुरी ,गाजियाबाद

सं0 4099 वि0सु0नि0(गा0बाद रीजन) सूचना / दिनांक- 31-3-2012

सेवा में,

श्री मोहित पन्त,
ओ -1204,जयपुरिया सनराइज ग्रीन,
12ए, अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम,
गाजियाबाद ।

विषय- **सूचना अधिकार के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना का प्रेषण ।**

प्रसंग- आपका पत्रसंख्या-शून्य दिनांक-01.3.12 ।

प्रिय महोदय,

कृपया विषयांकित से सम्बन्धित प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मांगी गयी सूचना विन्दुवार निम्न प्रकार है :-

1- उक्त भवन के निर्माणी द्वारा भवन में, इलैक्ट्रिकल पैनल, इलैक्ट्रिकल लोड (एल टी लोड) एवं भवन में अधिष्ठापित जनरेटर्स के निरीक्षण से सम्बन्धित कोई भी कागजात इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं । इस कार्यालय के पत्रसं0904/ दिनांक-31.8.2010, पत्रसं0-3620/ दिनांक-06.3.12 एवं पत्रसं0- 3865 / दिनांक-17.3.12 द्वारा लिखे जाने व बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद भी सम्बन्धित भवन निर्माणी द्वारा सम्बन्धित कागजात प्रेषित नहीं किये गये हैं, इस कारण सम्बन्धित विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण अभी नहीं किया जा सका है ।

2- बिन्दु- दो के सम्बन्ध में आख्या उपरोक्तानुसार है ।

3- बिन्दु-3 के सम्बन्ध में, भवन निर्माणी द्वारा भवन में अधिष्ठापित 34नं0 लिफट्स का निरीक्षण तत्कालीन उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, गाजियाबाद रीजन,गाजियाबाद, श्री गोपाल सिंह अधिकारी द्वारा किया गया था, से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

4- बिन्दु-4 के सम्बन्ध में भवन निर्माणी द्वारा निरीक्षण से सम्बन्धित कागजात इस कार्यालय में प्रेषित नहीं किये गये हैं । अतः भवन में अधिष्ठापित विद्युत अधिष्ठापन का निरीक्षण अभी किया जाना सम्भव नहीं हो सका है ।

अतः उक्त आपको सूचनार्थ प्रेषित है ।

संलग्नक-यथोपरि (एक नं0)

भवदीय

(इंजी0 सतीश चन्द्रा)
उप निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ0 प्र0 शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

कार्यालय उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन गाजियाबाद रीजन

10 चन्द्रपुरी, गुरूद्वारा के पीछे गाजियाबाद।

संख्या: 175 वि0सु0नि0 / गाजियाबाद रीजन / वि0 अ0 / दिनाक: 22-1-08

सेवा में,

सर्वश्री. जयपुरिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (प्रा0) लि0.
(जयपुरिया सनराईज ग्रीन्स एवं माल)
प्लाट नं0- 12 ए. अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम
गाजियाबाद

विषय: 34 नं0 लिफ्टस (32 नं0 लिफ्टस सनराइज ग्रीन्स तथा 2 नं0 लिफ्ट माल) के विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण / परीक्षण।

प्रिय महोदय,

आपके परिसर में अधिष्ठापन विषयांकित लिफ्ट मेक— ओटिस ——— का प्रारम्भिक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनाक 21-1-08 को किया गया। निरीक्षण के समय उपरोक्त लिफ्ट का विद्युत अधिष्ठापन भारतीय विद्युत नियमावली 1956 से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन करता हुआ पाया गया।

अत: उक्त अधिष्ठापन को प्रयोग मे लाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(गोपाल सिंह अधिकारी)

(हस्ताक्षर) 22-1-08

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र०शासन, गाजियाबाद रीजन, 10चन्द्रपुरी, गाजियाबाद

सं० विद्यु०नि०(गा०बाद रीजन)सामान्य/निरीक्षण/ दिनांक- 31-8.2010

सेवा में,

श्री गौतम डी,
सचिव सनराइज ग्रीन्स रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियेशन,
12ए, अहिंसा खण्ड, इन्द्रिरापुरम,
गाजियाबाद ।

विषय- सर्वश्री जयपुरिया सनराइज ग्रीन के फ्लैट ओनर्स द्वारा की गयी शिकायत के सम्बन्ध में ।

प्रसंग- आपका पत्र दिनांक-20-7-10

प्रिय महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं में से अधिकांश इस विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं, जिनके लिए सम्बन्धित विभागों से आप सम्पर्क कर लें । जहां तक जनरेटिंग सेट्स के विद्युत इन्स्टालेशन, इलैक्ट्रिक पैनल के विद्युत इन्सटालेशन एवं लिफ्ट्स के विद्युत इन्सटालेशनों से सम्बन्धित खतरा एवं नुकसान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में बिल्डर को सुरक्षा एवं जनहित में लिखा जा रहा है ।

भवदीय

(गोपाल सिंह अधिकारी)
उप निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

Regd
904 (1)

सं० विद्यु०नि०(गा०बाद रीजन)सामान्य/निरीक्षण/तद्दिनांक
उपरोक्त की प्रतिलिपि सर्वश्री जयपुरिया सनराइज 12ए अहिंसा खण्ड इन्द्रिरापुरम, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमावली-1956 के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता/ओनर को अपने विद्युत अधिष्ठापन को इस प्रकार मेन्टेन करना है कि वह हर समय खतरा रहित रहे। अतः निम्न बिन्दुओं के अनुसार तुरन्त आवश्यक कार्यवाही कर अनुपालन आख्या प्रेषित करें अन्यथा किसी अप्रिय स्थिति के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे :-

1- जनरेटिंग स्टेशन पर डीजल एवं ज्वलनशील पदार्थों को खतरनाक तरीके से स्टोर न किया जाय वहां अग्निशामक बाल्टियों के साथ-साथ एक्सटेंग्यूसर भी लगाया जाये ।

2- पैनल रूम व जनरेटर रूम में फायर डिडेक्शन सिस्टम लगाया जाय ।

3- पैनल रूम में किसी प्रकार से पानी की सीपेज न होने पाये तथा वहां के समस्त सिविल कार्य पूर्ण कर लिए जाय एवं वहां अग्निशामक बाल्टियों के साथ-साथ फायर एक्सटेंग्यूसर भी लगाया जाय ।

4- भवन में लगायी गयी लिफ्ट्स के यांत्रिकी देखरेख की जाय । लिफ्ट के सप्लायर से यांत्रिक सक्षमता का प्रमाणक प्राप्त किया जाए। लिफ्ट पिट में पानी भराव को रोका जाय ।

(गोपाल सिंह अधिकारी)
उप निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

सं० विद्यु०नि०(गा०बाद रीजन)सामान्य/निरीक्षण/तद्दिनांक।
उपरोक्त की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, गाजियाबाद /एस०एस०पी०, गाजियाबाद की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित ।

(गोपाल सिंह अधिकारी)
उप निदेशक
विद्युत सुरक्षा उ० प्र० शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद